

agreement? It is the British Government that has done it and not the Government of India. Instead of defending the Government of India, he tried to defend the other people. It is a shame.

SHRI PILOO MODY : I said the same thing you are saying.

MR. SPEAKER : Mr. Banerjee, you should try to avoid such things. You should not use such words.

SHRI S. M. BANERJEE : You ask the reaction in the House. Everybody says, he is not talking like a Member of this House.

MR. SPEAKER : Shri P. K. Deo—absent.

12.25 hrs.

RE-PAYMENT OF DEARNESS ALLOWANCE TO CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES AND OTHER MATTERS

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Sir, with your permission, I wish to raise a very important question regarding the payment of dearness allowance to the Central Government employees. According to the present formula of the Second Pay Commission and also that of the Gajendragadkar Commission, once there is an average rise of 10 points in the cost of living index, the Central Government employees throughout the country get entitled to another slab of dearness allowance. According to the figures available to us through the Reserve Bank various other agencies, the cost of living index figure has risen from 215 to 225, that is, there is an increase of 10 points. So, the Central Government employees are entitled to another slab of dearness allowance. I would request the Government and, specially, the Finance Minister to make an announcement in the House that another slab of dearness allowance will be given to the Central Government employees. Since he is not in a position to accept the Call Attention Notice, I would request you and, through you, the Minister of Parliamentary Affairs, the Government and the Finance Minister that, while replying to the General Budget, he must announce it.

श्री एन० एन० पांडे (गोरखपुर) : गोंडा में रेल दुर्घटना हुई है जिसमें दस से ज्यादा आदमी मारे गये हैं और काफी लोग घायल-वस्था में अस्पताल में पड़े हैं। मैं आज ही सुबह वहां से स्पार्ट पर इनक्वायरी करके लौटा हूं। वहां स्थिति बहुत ही गम्भीर है। हुआ यह कि एक गाड़ी 184 डाउन पार्सल खड़ी थी और दूसरी गाड़ी 32 डाउन गोंडा कचहरी को उसी लाइन पर एलाउ कर दिया गया और टक्कर हो गई। यह बहुत बड़ी ट्रेजीडी वहां पर घटित हुई है। इस छ्वाटी लाइन पर आये दिन ऐसी गलतियां होती हैं और एक्सीडेंट हो जाया करते हैं। माननीय उप मंत्री जी भी वहां गए थे। उन्होंने जो एक बयान दिया है उसमें उन्होंने मरने वालों की संख्या बहुत कम बताई है। मैं चाहता हूं कि इस सारी दुर्घटना की अच्छी तरह से जांच हो। इस प्रकार से घटने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि आप एक हार्ड टेक्नीकल बाडी एप्वाइंट करें और वह इस चीज की जांच करके वास्तविकता पर पहुंचे ताकि आये दिन इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसके ऊपर डिसकशन के लिए समय निर्धारित करें ताकि सारे मामलात इस सदन के सामने आ सकें।

श्री भोगेन्द्र भा (जयनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार और खास कर रेल मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सदन को भी ज्ञात है कि बरौनी के इलाके में रेल मजदूरों ने हड़ताल की थी। उसको टालने के लिये 22 मार्च को मैंने रेल मंत्री को लिखा था और हड़ताल 25 मार्च को शुरू होनी थी। रेल मंत्री जी ने उसका जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। 25 तारीख को मैं और श्री कल्याणमुन्दरम इत्यादि उनसे मिले

[श्री भोगेन्द्र भा]

थे। लेकिन मंत्री महोदय कटिबद्ध रहे और उन्होंने हड़ताल करवा दी। 33 दिन तक वह हड़ताल चली। सदन में बताया गया था कि हमारे अफसर कहां गये हैं और रेलों को चालू करवाएंगे। लेकिन एक भी डिब्बा या एक भी इंजन 33 दिनों तक चल नहीं सका। उसके बाद रेल मंत्री ने आश्वासन दिया कि कोई विन्डिमाइजेशन नहीं होगा और मांगों के बारे में कहा कि जब निर्णय हो जायेगा तो उसको लागू कर दिया जाएगा। श्रम मंत्री ने भी हड़ताल समाप्त करने का आह्वान किया था। खास कर जो बगला देश में हालत पैदा हो गई थी उसको ध्यान में रखकर 33 दिनों के बाद रेल मजदूरों ने हड़ताल को वापिस ले लिया और काम पर आने की घोषणा की। उनको काम पर जाने नहीं दिया गया और गाड़िया चालू हो गई।

उसके बाद 60 के लगभग श्रमिकों को काम से मुअ्तिल कर दिया गया हैं, 3000 से ज्यादा को ब्रेक इन सर्विस का नोटिस दे दिया गया हैं, कई सौ को गिरफ्तार किया गया है और उससे भी बहुत ज्यादा पर मुकदमा चलाया जा रहा है। यह सुनने में आता है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और दूसरे अधिकारी यह धमकी देते हैं कि लोग फिर हड़ताल पर जायें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि रेलवेज किसी की व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं है। इस संस्थान में जो भी घाटा होता है, वह सारे देश का घाटा है। मैं चाहता हूँ कि श्रम मंत्री और रेलवे मंत्री की ओर से जो आश्वासन दिया गया है, सरकार उसका पालन करे, नहीं तो कुछ लोग मजदूरों को फिर हड़ताल करने के लिये उकसा रहे हैं। यह आवश्यक है कि सरकार दमन की कार्यवाहियों को वापस ले और हड़ताल से पहले की यथास्थिति को कायम करे।

अध्यक्ष महोदय : श्री तुलमोहन राम।

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : मैंने एक्सडेंट के बारे में एक शार्ट-नोटिस क्वेश्चन दिया था।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इन बातों को हाउस में रेफर न करें। वह इस बारे में मुझे लिखें।

श्री तुलमोहन राम।

QUESTION OF PRIVILEGE

Arrest of Shri Tulmohan Ram, M. P. in Bihar

श्री तुलमोहन राम (अरारिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आप ने मेरे केस को प्रिविलेजिज कमेटी को रेफर करने की आज्ञा प्रदान की। मैं अपने इलाके के छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों तथा अनुसूचित जातियों के पूरे समर्थन से लोक सभा के लिए चुन कर आया हूँ।

MR. SPEAKER : This matter was already before the previous House. It is just a formality.

श्री तुलमोहन राम : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मेरे केस को दोबारा प्रिविलेजिज कमेटी को सौंप दिया जाये।

I beg to move :

"That the question of privilege regarding the alleged arrest of Shri Tulmohan Ram, M.P., on the 28th November, 1969 by Shri Chandrika Prasad, then Sub-Inspector of Police, Mahishi (Bihar) and non-intimation thereof to the Speaker, Fourth Lok Sabha, be referred to the Committee of Privileges of this Lok Sabha."

अध्यक्ष महोदय : यह मामला पहले से ही प्रिविलेजिज कमेटी के सामने है। चूंकि चौथी लोक सभा भंग हो गई, पांचवीं लोक